अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग
राजस्थान– मिशन 2030
(विकसित राजस्थान 2030)

Concept Paper/Note

1. **प्रस्तावना–** अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ निश्चित लक्ष्य एवं निर्धारित समय सीमा में प्राप्ति के उद्देश्य की संकल्पना को लिए सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2006 में एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार का दिसम्बर 2009 में उद्भव एवं गठन हुआ है।
2. **उद्देश्य–** अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास यथा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु समग्र नीति तैयार करना, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मुल्यांकन तथा समीक्षा करना है।
3. **संचालित कार्यक्रम/योजनाएं–** विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की मूल भावना को धरातल पर उतारते हुए अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों/सेक्टर्स में कार्य किया जा रहा है–
   I. शिक्षा के क्षेत्र में– शिक्षा के क्षेत्र में 15 सूत्रीय कार्यक्रम के उद्देश्य शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाने के तहत निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है–
      - छात्रवृत्ति– पोस्ट मेट्रिक, मेरिट कम मीन्स, प्री मेट्रिक व बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति।
      - निःशुल्क छात्रावास सुविधा
      - अल्पसंख्यक बालक व बालिका आवासीय विद्यालय
      - गुणवत्तापूर्ण मदरसा शिक्षा
      - विद्यालय शिक्षा की उपपलब्धता को सुधारने हेतु
      - उर्दू शिक्षण व अन्य भाषाओं के लिए संसाधन

   II. आर्थिक गतिविधियों व रोजगार में हिस्सेदारी बढ़ाना– अल्पसंख्यको के लिए आर्थिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रमों संचालन किया जा रहा है।
      - व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना– आरएमएफडीसीसी द्वारा कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को व्यवसाय तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
      - शिक्षा ऋण की सुविधा– उच्च तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण की सुविधा आरएमएफडीसीसी द्वारा प्रदान की जा रही है।
      - कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम– रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण आरएसएलडीसी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
      - भाषा सम्प्रेषण हेतु अंग्रेजी व अन्य भाषाओं का रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

   III. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के मापदण्ड पर क्षेत्रीय असंतुलन अथवा गैप को दूर करने हेतु राज्य मद एवं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना विकसित करना–
      - योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा तक सहज पहुँच के लिए छात्रावास भवन निर्माण, आवासीय विद्यालय भवन निर्माण व महाविद्यालय भवन निर्माण।
      - स्वास्थ्य सुविधा हेतु उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि का भवन निर्माण।
      - कौशल विकास हेतु आईटीआई भवन निर्माण।
      - विभिन्न नागरिक सुविधाओं हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर/सद्भावना मण्डप आदि का भवन निर्माण।

Scanned with CamScanner

4. **विजन स्टेटमेंट/कथन–**

- अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण तथा उसके अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करना।
- अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास हेतु मानकों के निर्धारण एवं इनकों प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना तथा पिछड़ेपन के मूल कारणों को चिन्हित करते हुए इन्हें दूर कर उनकों मुख्य धारा में सम्मिलित करना–
  - शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के समस्त पात्र बालक–बालिकाओं को चिन्हित कर विद्यालय में प्रवेश तथा गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना।
  - अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट को शून्य करना, विशेषकर बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।
  - अल्पसंख्यक समुदाय के समस्त पात्र अभ्यर्थियों हेतु संचालित योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लाभान्वित करना।
  - आर्थिक सम्बलन प्रदान करने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्वरोजगार व व्यवसाय के लिए प्रेरित करना तथा उक्त कार्य हेतु ऋण प्रदान करना।
  - ग्रामीण विकास एवं नागरिक सुविधाओं तक आनुपातिक रूप से हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
  - सामप्रदायिक सदभाव कायम कर सुरक्षित माहौल प्रदान कर समस्त शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों के लिए आपसी विश्वास बहाल करना।

5. **गैप्स एवं चुनौतियां–**

I. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण तथा उसके अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करना और इसकी मोनिटरिंग आयोजना एवं वित्त विभाग द्वारा किया जाना।

II. विद्यालयी शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित कर ड्रॉप आउट शून्य करना– इस हेतु कार्य योजना एवं समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण करना।

III. आर्थिक सम्बलन हेतु रोजगार व स्वरोजगार की नीति, योजना एवं समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण करना।

IV. महिलाओं के विकास में बाधक– शिक्षा व आर्थिक चुनौतियों को चिन्हित कर समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना।

V. सामप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित कर आपसी विश्वास बहाल करना।

अतः राजस्थान मिशन 2030 के संकल्प के दृष्टिगत रखते हुए राज्य के अल्पसंख्यकों के समग्र विकास की संकल्पना के तहत गैप्स और चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए विकास के मानकों का निर्धारण एवं इनकों प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना तथा पिछड़ेपन के मूल कारणों को चिन्हित करते हुए दूर कर उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करने की कार्य योजना तैयार करने में आप सभी प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में सहयोग अपेक्षित है।

Scanned with CamScanner